(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 09/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/56

बउनवान

श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत निवासी सी–1, सी–2, फ्लैट नं. 407, विनायक अपार्टमेंट, चौमूं हाउस सर्किल, पृथ्वीराज रोड, सी स्कीम, जयपुर (राज.)–302001

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 31.07.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.05.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खंड कोटा के पत्र क्रमांक एफ/सामान्य/देव/22/1472 दिनांक 26.07.2022 के संबंध में 07 बिंदुओं की सूचना चाही गई है जो निम्नलिखित है :–

1. उक्त पत्र के क्रमांक 02 के अनुसार पुजारी की नियुक्ति का पत्र मय कार्यालय पत्रावली व समस्त दस्तावेज सहित उपलब्ध करावे।
2. उक्त पत्र के क्रमांक 02 के अनुसार दिनांक 26.07.2022 के बाद आज तक कब–कब दानपेटी खोली गई, विवरण देवे।
3. दानपेटी जितनी भी बार खोली गई, उसके प्रत्येक बार कितनी राशि या अन्य सामान मिला, पूर्ण विवरण देवे।
4. ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक ने अभी तक कितनी रसीदें काटी है, कितनी राशि समिति के बैंक खाते में जमा करायी है, पूर्ण विवरण देवें।
5. जो भी पानी/बिजली की व्यवस्था का खर्चा समिति के बैंक खाते में हुआ है, उसका माहवार विवरण देवे।
6. पुजारी को अभी तक कितनी सैलेरी/भत्ते दिये गये है, पूर्ण विवरण देवे।
7. मंदिर के भोग में कितने खर्च किये गये, पूर्ण विवरण देवें।

अपीलार्थी को उक्त बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता के अपीलार्थी पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावे।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 08.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 550–551 दिनांक 09.07.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 550–551 दिनांक 09.07.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:17 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/सू.का अ./2025/1139–40 दिनांक 25.07.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.05.2025 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग रामचंद्र जी का मंदिर, लाडपुरा कोटा (राज.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक एफ/सामान्य/देव/आरटीआई/2025/1022–1024 दि. 20.05.2025 से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अंता में दिनांक 23.05.2025 को प्राप्त हुआ था जिसका जवाब उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक/न्याय/आरटीआई/2025/1071 दिनांक 20.06.2025 से जरिये डाक अपीलार्थी को भिजवा दिया गया है जो इस प्रकार है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत कार्यालय द्वारा संधारित रेकार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। किसी भी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/संधारित रेकार्ड का अवलोकन कर नियमानुसार निर्धारित शुल्क, पृष्ठ अनुसार जमा कर चाही गई सूचना प्राप्त कर सकता है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/सू.का अ./2025/1139–40 दिनांक 25.07.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया जाकर प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **31.07.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:17 IST
Reason: SelfAttested